THE NDDB
(ENFORCEMENT OF CLAIMS)
REGULATIONS

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 26, 2004/वैशाख 6, 1926
No. 77] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 26, 2004/VAISAKHA 6, 1926

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2004

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (दावों का प्रवर्तन) (संशोधन) विनियमन, 2004

सं. दिल्ली : **राडेविबोर्ड**.—राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसके साथ धारा 30 और धारा 31 को समाहित करते हुए और इस तरह से प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का निदेशक-मण्डल, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना, राडेविबोर्ड/विधि/4401 दिनांक 12 जुलाई, 2000 के रूप में प्रकाशित राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (दावों का प्रवर्तन) विनियमन, 2000 के भाग III - खण्ड 4 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

1. **लघु शीर्षक एवं आरंभ :**

(1) इन विनियमों को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (दावों का प्रवर्तन) (संशोधन) विनियम, 2004 कहा जाएगा।

(2) जब तक विनियमों में अन्यथा न कहा जाए, इसके प्रावधान भारत के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से लागू होंगे।

2. **राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (दावों का प्रवर्तन) विनियम, 2000 में संशोधन :**

(1) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) के खंड (घ) में निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"(घ) "न्यायालय" का अर्थ है-जनपद में मूल अधिकार-क्षेत्र की प्रमुख दीवानी अदालत (जिसमें उच्च न्यायालय अपने मूल दीवानी अधिकार-क्षेत्र के कारण शामिल हैं) जिसके अधिकार-क्षेत्र में आता है कि वह दावों की विषय-वस्तु से संबंधित प्रश्नों का निर्धारण करे यदि ये वाद की विषय-वस्तु से संबंधित हैं, किन्तु इसमें ऐसी कोई भी दीवानी अदालत शामिल नहीं है जो ऐसी प्रमुख दीवानी अदालत, अथवा अन्य लघु वाद-अदालत से किसी भी स्तर में कम हो।"

(2) विनियम 4 में -

(क) उप-विनियम (1) में,

(i) खंड (क) में निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(क) आवेदन के बारे में जो खंड (i) के अधीन सहायता माँगते हुए, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को ऋण अथवा अग्रिम के लिए प्रतिभूति के रूप में धरोहरित, निक्षेपित, दृष्टिबंधित अथवा हस्तांतरित संपत्ति से संबन्धित ऐसे आदेश पारित करता है जो इसे ऐसे ऋण अथवा अग्रिम की अंतिम वसूली को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त और उचित लगे।"

(ii) खंड (ख) में, "खंड (ग)", की अभिव्यक्ति हेतु, अभिव्यक्ति "खंड (iii)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) खंड (ग) में, "खंड (ख)", की अभिव्यक्ति हेतु, अभिव्यक्ति "खंड (ii)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-विनियम (4) को हटा दिया जाएगा।

(3) विनियम 9 में, उप-विनियम (1) में, "विनियम 7 के उप-विनियम (1) के अधीन" के स्थान पर, "विनियम 7 के अधीन" अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(4) विनियम 10 में, "विनियम 7 का उप-विनियम (1)" की अभिव्यक्ति के लिए "विनियम 4 का उप-विनियम (1)" अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

दीपक टिक्कू, प्रबन्ध निदेशक

[सं. विज्ञापन-3/4/असाधारण/132/04]

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2004

The National Dairy Development Board (Enforcement of Claims) (Amendment) Regulations, 2004

No. DEL:NDDB.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987), read with Section 30 and Section 31 thereof, and of all other powers enabling them in that behalf, the Board of Directors of the National Dairy Development Board hereby makes the following Amendments to the National Dairy Development Board (Enforcement of Claims) Regulations, 2000 published in Part III - Section 4 of Gazette of India, Extraordinary, as Notification NDDB/LEGAL/4401 dated 12th July, 2000, namely :—

1. Short title and commencement :

(1) These regulations may be called the National Dairy Development Board (Enforcement of Claims) (Amendment) Regulations, 2004.

(2) Save as otherwise provided in the regulations, the provisions thereof shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. Amendments to the National Dairy Development Board (Enforcement of Claims) Regulations, 2000:

In the National Dairy Development Board (Enforcement of Claims) Regulations, 2000 :—

(1) In Regulation 2, for clause (d) of Sub-regulation (1), the following clause shall be substituted, namely :—

"(d) "Court" means the principal civil court of original jurisdiction in a district (which includes the High Court in exercise of its original civil jurisdiction), having jurisdiction to decide the questions forming the subject matter of the claims if the same have been the subject matter of a suit, but does not include any civil court of a grade inferior to such principal civil court, or any court of small causes."

(2) In Regulation 4.—

(a) in Sub-regulation (1),

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) in case of an Application seeking relief under clause (i) thereof, pass such appropriate order, concerning the property pledged, mortgaged, hypothecated or assigned to National Dairy Development Board as security for the loan or advance, as it may deem fit and proper to ensure the ultimate recovery of such loan or advance."

(ii) in clause (b), for the expression "clause (c)", the expression "clause (iii)" shall be substituted;

(iii) in clause (c), for the expression "clause (b)", the expression "clause (ii)" shall be substituted;

(b) sub-regulation (4) shall be omitted.

(3) In Regulation 9, in sub-regulation (1), for the expression "under sub-regulation (1) of regulation (7)", the expression "under regulation 7" shall be substituted.

(4) In Regulation 10, for the expression "sub-regulation (1) of regulation 7", the expression "sub-regulation (1) of regulation 4" shall be substituted.

DEEPAK TIKKU, Managing Director

[No. ADVT-3/4/Exty./132/04]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 13, 2000/आषाढ़ 22, 1922
No. 89] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 13, 2000/ASADHA 22, 1922

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2000

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (दावों का प्रवर्तन) विनियम, 2000

रा डे वि बो/लीगल/4401.—राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम 1987 (1987 का 37) की धारा 48 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों और धारा 30 और 31 के साथ संयुक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के निदेशक मंडल निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक और आरंभ**

1. इन विनियमों को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (दावों का प्रवर्तन) विनियम 2000 के नाम से जाना जायेगा।

2. ये भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं**

1. इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) से है।

(ख) "लेनदार" (ऋणी) से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से ऋण प्राप्त किया है।

(ग) "कोड" से अभिप्राय कोड ऑफ सिविल प्रोसिजर्स, 1908 अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) से है ।

(घ) न्यायालय से अभिप्राय है –

(i) किसी कस्बे अथवा नगर में स्थित उस नगर दीवानी अदालत से जिसको सामान्य मुकदमें सुनने का अधिकार है ।

(ii) उच्च न्यायालय से जो ऐसे कस्बे अथवा नगर में है, जहाँ कोई नगर दीवानी अदालत नहीं है ।

(iii) अन्यत्र, जिला जज अथवा दीवानी अधिकार क्षेत्र के मुख्य न्यायालय के किसी न्यायाधीश से ।

(ङ) "बकायेदार" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसके विरुद्ध विनियम 3 के अधीन दावा अथवा प्रवर्तन किया जा सकता है ।

(च) "राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड" से अभिप्राय राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत गठित निगमित निकाय से है ।

(छ) "विनियम" से अभिप्राय है एक विनियम जो इन विनियमों का भाग है ।

(ज) "धारा" से अभिप्राय अधिनियम की धारा से है ।

(झ) इन विनियमों में जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों को पारिभाषित नहीं किया गया किन्तु जिन्हें अधिनियम में पारिभाषित किया गया है उनके अर्थ अधिनियम में दिये गये अर्थ ही माने जायेंगे ।

अध्याय II

न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

3. दावों के प्रवर्तन हेतु प्रक्रिया

1. जहाँ –

(क) कोई व्यक्ति जो, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के साथ हुये करार को भंग करते हुए, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा दिये गये ऋण अथवा अग्रिम अथवा उसकी किस्त के पुनःभुगतान में असफल होता है, अथवा

(ख) कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को किसी अन्य व्यक्ति की ओर से दी गयी किसी भी गारंटी से संबंधित दायित्व के निर्वाह में असफल होता है, अथवा

(ग) कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के साथ हुए किसी भी करार की शर्तों को पूरा नहीं करता है,

बोर्ड द्वारा इसके लिये सामान्य अथवा विशेष रूप से प्राधिकृत राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का कोई भी अधिकारी, न्यायालय में बोर्ड की ओर से निम्नलिखित सहायता में से एक अथवा अधिक अनुतोष के लिये आवेदन कर सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में बकायेदार अपनी व्यापारिक गतिविधियों को पूर्णतः अथवा अंशतः संपादित कर रहा हो, अर्थात :

(i) गिरवी रखी, रेहन रखी, माल-बंधक रखी संपत्ति की बिक्री के आदेश अथवा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित, ऋण अथवा अग्रिम के लिये प्रतिभूति के रूप में रखी, अथवा

(ii) संबंधित संस्था के प्रबंध संचालन को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को सौंपने से संबंधित आदेश, अथवा

(iii) बकायेदार और उसके अधीन आनेवाले अन्य व्यक्तियों को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी मशीनरी अथवा संयंत्र अथवा उपकरण को अन्य स्थान पर अंतरित (transfer) करने अथवा हटाने से रोकने के लिए अंतरिम व्यादेश देना, जहां ऐसे ट्रांसफर अथवा हटाने का वाणिज्य अंदेशा है ।

2. इस विनियम के उप-विनियम (1) के अधीन, आवेदन यथासंभव प्रथम अनुसूची में दिये गये फॉर्म में होना चाहिये और उसमें उल्लेख हो :

(क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के प्रति व्यक्ति (ऋणी अथवा अन्य कोई) की देयता की प्रकृति और सीमा,

(ख) आवेदन प्रस्तुति के आधार, और

(ग) ऐसे अन्य विवरण प्रस्तुत करना जो मामले को देखते हुए आवश्यक हों ।

4 अनुतोष हेतु प्रस्तुत आवेदनों पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

(1) जहाँ विनियम 3 के उप-विनियम (1) में उल्लिखित एक अथवा अनेक अनुतोष (अनुतोषों) के लिए आवेदन किया गया हो, वहाँ न्यायालय बकायेदार को विनियम 5 के अंतर्गत नोटिस जारी करने के साथ-साथ निम्न कार्य करेगा :

(क) धारा (ए) के अधीन, अनुतोष हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के होने पर अंतरिम आदेश देना कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को दी गयी प्रतिभूति को और बकायेदार की इतनी अन्य संपत्ति को ले लेना, जो बेचने पर इतनी अधिक राशि बोर्ड को दे दे जिससे कि व्यक्ति की बोर्ड के प्रति शेष देयता, न्यायालय के खर्च के साथ, मिल जाये,

(ख) धारा (सी) के अधीन सहायता प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन के संबंध में, बकायेदार को संबंधित संस्था के परिसर से मशीनरी अथवा अन्य उपकरण अंतरित (transfer) करने अथवा हटाने से रोकने के लिए अंतरिम व्यादेश देना, और

(ग) धारा (बी) के अधीन संस्था के प्रबंध-संचालन के लिए प्रस्तुत आवेदन के संबंध में

(i) संस्था के परिसर से बकायेदार को मशीनरी, संयंत्र अथवा उपकरण ट्रांसफर करने अथवा हटाने से रोकने के लिए अंतरिम व्यादेश देना, और

(ii) बकायेदार को कारण बताओ नोटिस देना कि क्यों न निर्दिष्ट तारीख से संस्था का प्रबंध संचालन राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया जाए ।

2. आवेदन में उल्लिखित परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय कोई एक या अधिक अनुतोष दे सकता है ।

3. इस विनियम (1) के उप-विनियम के अधीन, आदेश देने से पहले, न्यायालय उचित समझने पर, दावे की सत्यता के बारे में स्वयं को प्रथमतः संतुष्ट करने पर अधिकारी द्वारा शपथ लेकर दिये गये वक्तव्य को रिकार्ड कर सकता है ।

4. इसमें दिए गए आवेदनों के अलावा, उप नियम (1) के अधीन प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के पक्ष में प्रस्तुत न्यायालय के वैध आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन के

बराबर माना जाएगा और बकायेदार के विरुद्ध तथा संहिता के सारे प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

5. कारण बताओ नोटिस

विनियम 4 के उप-विनियम (1) के अधीन, आदेश देते समय, न्यायालय, बकायेदार को या अन्य किसी व्यक्ति को, जो उस प्रतिभूति में कुछ रुचि रखता है जिसे कुर्क करने के आदेश दिये गये हैं अथवा जिसके विरुद्ध अन्य अनुतोष माँगा गया है, आदेश की प्रतियों के साथ, आवेदन और उसके द्वारा दिये गये विवरण, यदि हो, के साथ कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों न संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस में निर्दिष्ट तिथि को कुर्की के अंतरिम आदेश को पूर्ण बना दिया जाए अथवा व्यादेश अथवा अन्य प्रवत्त अनुतोष की पुष्टि की जाए, जैसा भी मामला हो ।

6. दावे की जाँच और न्यायालय के आदेश

1. विनियम 4 अथवा विनियम 5 के अधीन जारी नोटिस में यदि विनिर्दिष्ट तारीख को या इससे पहले, कोई कारण नहीं बतलाया गया है, तो जैसा भी केस हो, न्यायालय अंतरिम आदेश को समग्र बना देगा तथा संस्था की कुर्क संपत्ति की बिक्री अथवा प्रबंध तंत्र के ट्रांसफर का निर्देश देगा, अथवा व्यादेश अथवा अन्य अनुतोष की पुष्टि करेगा, जैसा भी मामला हो ।

2. यदि मामले पर विवाद होता है, तो न्यायालय संहिता में प्रवत्त, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के दावे पर निर्णय देने के लिए इस प्रकार निर्णय करेगा कि मानो यह समरी कार्यवाही है, और इस संबंध में आवश्यक परिवर्तनों सहित प्रावधान लागू होंगे ।

7. अंतिम आदेश

विनियम 6 के उप-विनियम (2) के अधीन की गई जाँच के पश्चात् न्यायालय निम्नलिखित कार्य कर सकता है :

(क) कुर्की के आदेश की पुष्टि करना और कुर्क संपत्ति की बिक्री का निर्देश देना,
(ख) कुर्की के आदेश में परिवर्तन, जिससे कि संपत्ति के एक भाग को कुर्की से मुक्त किया जाए और कुर्क हुई संपत्ति के शेष भाग की बिक्री का निर्देश देना,
(ग) कुर्की से संपत्ति को मुक्त करना
(घ) व्यादेश की पुष्टि अथवा विघटन, अथवा

(घ) संबंधित संस्था का प्रबंध-संचालन राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को अंतरित (Transfer) करने का आदेश देना अथवा इसके कार्य को रद्द कर देना ।

बशर्ते कि इन विनियमों के अधीन मामले का निर्णय देते समय न्यायालय ऐसे आदेश देने का अधिकार रखता है जिसे वह आवश्यक समझे, जिससे कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के हितों की रक्षा हो और परिस्थिति के अनुसार, न्यायालय की कार्यवाही में आए व्यय का उचित रूप में विभाजन हो ।

इसके अलावा, बशर्ते जब तक राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड न्यायालय को सूचना नहीं देता है कि वह न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील करेगा, तब तक बोर्ड के संबंधित संस्था के प्रबंध-संचालन के ट्रांसफर के कार्य को सौंपने का आदेश नहीं लागू होगा :

(i) विनियम 9 के अधीन, समय समाप्ति से पूर्व अवधि के भीतर जिसमें अपील देनी है, और

(ii) यदि अपील प्रस्तुत की गई है तो अपील के निपटारे तक, जब तक अपीलीय अदालत ऐसा निर्देश न दे ।

8. निष्पादन

(1) इन विनियमनों के अधीन, संपत्ति की कुर्की अथवा बिक्री, जहाँ तक संभव हो, उसी प्रकार से की जाएगी, जिस प्रकार से संहिता में आदेश के निष्पादन में संपत्ति की कुर्की अथवा बिक्री करने का विधान है, मानो कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड आदेश धारक है ।

(2) इन विनियमों के अधीन, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को किसी संस्था का प्रबंध-संचालन अंतरित करते समय, संपत्ति के स्वामित्व अथवा संपत्ति की सुपुर्दगी के आदेश का निष्पादन जहाँ तक संभव होगा, संहिता में प्रवृत्त रीति से इस प्रकार होगा कि मानो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड डिक्री होल्डर है ।

अध्याय III

अपील

9. अपील

(1) विनियम 7 के उप विनियम (1) के अधीन, न्यायालय के आदेश से व्यथित पार्टी, आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, उच्च न्यायालय में यथा संभव द्वितीय अनुसूची में दिए गए फॉर्म में अपील कर सकती है, और ऐसी अपील पर, उच्च न्यायालय, पार्टियों को कारण बताने का समुचित अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके अनुसार उपयुक्त और उचित है।

(2) संहिता के प्रावधान, आदेश के विरुद्ध अपील से संबंधित प्रक्रिया, इन विनियमों के अधीन, अपील पर लागू होगी।

अध्याय IV

विविध

10. अन्य लेनदारों पर तरजीह नहीं

विनियम 7 के उप-विनियम (1) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने से पहले, जहाँ किसी डिफॉल्टर के संबंध में, जो निगमित निकाय (कॉरपोरेट बॉडी) है, परिसमापन के लिए कार्यवाही आरंभ हो गई है, इन विनियमों में ऐसा कुछ अर्थ नहीं लिया जाएगा जिससे कि ऐसा लगे कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को डिफॉल्टरों (Defaulters) को अन्य लेनदारों के ऊपर वरीयता दी जा रही है, जो इस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा प्रदान नहीं है।

11. रिसीवर

किसी भी प्रकार का संदेह न हो, इसलिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इन विनियमों के अधीन, अनुतोष स्वीकृत करने का अधिकार रखनेवाली किसी भी अदालत को परिस्थिति के अनुसार, रिसीवर नियुक्त करने का और उससे संबंधित सभी शक्तियों के प्रयोग का अधिकार होगा।

प्रथम अनुसूची

फॉर्म

जिला न्यायाधीश की अदालत _____

मध्य

(क) _____ आवेदक

और

(ख) _____ प्रतिवादी

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम 1987, (1987 का 37) की धारा 30 और 31 के अधीन, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड विनियम, 2000 के विनियम 3 के साथ पठित

1. आवेदन का विवरण

जो लागू न हो, उसे काट दें

(i) आवेदक का नाम

(ii) पंजीकृत कार्यालय का पता

(iii) सभी नोटिसों को भेजने का पता

(iv) प्राधिकृत अधिकारियों का नाम और पता

2. प्रतिवादी का विवरण

(i) प्रतिवादी का नाम

(ii) प्रतिवादी के कार्यालय का पता

(iii) सभी नोटिसों को भेजने का पता

3. न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

आवेदक घोषणा करता है कि देय ऋण की वसूली का मामला जिला अदालत, _____ के अधिकार क्षेत्र में आता है।

4. **मामले के तथ्य अधोलिखित हैं :**

<समय क्रम से तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दें। प्रत्येक अनुच्छेद में, जहाँ तक संभव हो, एक पृथक् मुद्दा हो, चाहे वह तथ्य हो या अन्य>

5. **अनुतोष <तोषों> प्राप्ति हेतु प्रार्थना**

उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लिखित तथ्यों को देखते हुए, आवेदक निम्नलिखित अनुतोष <अनुतोषों> की प्रार्थना करता है :

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 30, धारा 31 और धारा 48 के अनुसार, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड विनियम, 2000 <वादों का प्रवर्तन> के साथ पठित।

<अनुतोष का आधार स्पष्ट करें।>

6. यदि आवेदन पर लंबित अंतिम निर्णय के लिए अंतरिम आदेश देने की प्रार्थना की गई हो तो आवेदक निम्नलिखित अंतरिम आदेश जारी करने की प्रार्थना करता है :

<प्रार्थित अंतरिम आदेश की प्रकृति पर सकारण प्रकाश डालें।>

7. अन्य किसी अदालत, आदि में मामला लंबित नहीं है :

आवेदक आगे घोषणा करते हैं कि इस आवेदन से संबंधित मामला अन्य किसी वैधानिक न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी के पास लंबित नहीं है।

8. **संलग्नकों की सूची :**

सत्यापन

मैं _____, सांविधिक निकाय अर्थात् राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत अधिकारी हूं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि पैरा 1 से 8 तक की विषय वस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और मैंने कोई मौलिक तथ्य नहीं छुपाया है।

स्थान :

दिनांक : हस्ताक्षर

द्वितीय अनुसूची

फॉर्म

उच्च न्यायालय, _____ के समक्ष

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) की धारा 30, 31 और 48 के अधीन राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के विनियम 9 के अधीन अपील-ज्ञापन

मध्य

(क) अपीलकर्ता

और

(ख) प्रतिवादी

अपील का विवरण

1. अपीलकर्ता का विवरण

(i) अपीलकर्ता का विवरण
(ii) अपीलकर्ता के पंजीकृत कार्यालय का पता
(iii) सभी नोटिसों को भेजने का पता

2. प्रतिवादी का विवरण

(i) प्रतिवादी का नाम
(ii) प्रतिवादी के कार्यालय का पता
(iii) सभी नोटिसों को भेजने का पता

3. उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

अपीलकर्ता घोषणा करता है कि अपील का मामला उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

4. सीमा

अपीलकर्ता आगे घोषणा करता है कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (बावा प्रवर्तन) विनियम, 2000 के विनियम 9 में वर्णित अवधि के अंदर अपील की गई है।

5. वाद के तथ्यों और न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश और उस पर की गई कार्रवाई

वाद के तथ्य अधोलिखित हैं :

<न्यायालय के विशेष आदेश अथवा उस पर की गई कार्रवाई के विरुद्ध की जाने वाली अपील का आधार और तथ्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें ।>

6. इच्छित अनुतोष – – उपर्युक्त पैरा 5 में दिये गये तथ्यों को देखते हुये, अपीलकर्ता निम्नलिखित अनुतोष <अनुतोषों> के लिए प्रार्थना करता है –– <प्रार्थित अनुतोष <अनुतोषों> के बारे में लिखें, अनुतोष <अनुतोषों> प्राप्ति और निर्भर वैधानिक प्रावधानों <यदि हो> के लिए आधार स्पष्ट करें>

7. अंतरिम आदेश, यदि प्रार्थना की गई है तो –– अपील पर लंबित अंतिम निर्णय को देखते हुए, अपीलकर्ता निम्नलिखित अंतरिम आदेश देने की प्रार्थना करता है ।

<यहाँ प्रार्थित अंतरिम आदेश की प्रकृति कारणों के साथ दें ।>

8. किसी अन्य न्यायालय आदि में वाद का लंबित न होना –– अपीलकर्ता आगे घोषणा करता है कि इस अपील से संबंधित मामला किसी अन्य वैधानिक न्यायालय अथवा अन्य किसी प्राधिकरण के समक्ष लंबित नहीं है ।

9. संलग्नकों की सूची

सत्यापन

मैं, _____ <पूरा नाम, साफ अक्षरों में>, _____ <पदनाम>, _____ <कंपनी का नाम>, वैध मुखत्यारनामा धारक _____ <संस्था अथवा इंटिटी का नाम>

एतद्द्वारा सत्यापित करता/करती हूं कि पैरा 1 से 9 तक में दी गई अंतर्वस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और मैंने किन्हीं वास्तविक तथ्यों को नहीं छुपाया है ।

स्थान : अपीलकर्ता के हस्ताक्षर
दिनांक :

[विज्ञापन-3/4/असाधारण/132/2के]

अमृता एच. पटेल, अध्यक्ष

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2000

The National Dairy Development Board (Enforcement of Claims) Regulations, 2000

NDDB/LEGAL/4401.—In exercise of the powers conferred by section 48 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987), read with section 30 and section 31 thereof, the Board of Directors of the National Dairy Development Board hereby makes the following regulations, namely :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement

(1) These regulations may be called the National Dairy Development Board (Enforcement of Claims) Regulations, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. Definitions

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires -

(a) "Act", means the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987);

(b) "borrower" means a person against whom there is owing a debt in favour of the National Dairy Development Board;

(c) "Code" means the Code of Civil Procedures, 1908 (5 of 1908);

(d) "Court" means -

(i) in any town or city, where there is a City Civil Court having ordinary Original Civil Jurisdiction, by that Court;

(ii) in town or city, where there is no such City Civil Court, by the High Court;

(iii) elsewhere, also by any District Judge or by any Judge of the principal Court of Civil Jurisdiction.

(e) "Defaulter" means any person against whom claim is capable of being made or enforced under regulation 3;

(f) "National Dairy Development Board" means the National Dairy Development Board, constituted as a body corporate under Section 4 of the Act;

(g) "Regulation" means a regulation forming part of these regulations;

(h) "Section" means a section of the Act; and

(i) words and expressions not defined in these regulations, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

PROCEEDINGS BEFORE THE COURT

3. Procedure for Enforcement of claims :

1. Where -

(a) any person, in breach of any agreement with the National Dairy Development Board, makes any default in the repayment of any loan or advance made by the National Dairy Development Board or any installment thereof, or

(b) any person makes any default in meeting his obligations in relation to any guarantee given to the National Dairy Development Board on behalf of any other person, or

(c) any person who fails to comply with the terms of any agreement with the National Dairy Development Board,

any officer of the National Dairy Development Board generally or specially authorised by the Board in this behalf, may apply to the Court within whose jurisdiction the defaulter carries on the whole or any part of his business, for one or more of the following reliefs, namely :-

(i) an Order for the sale of the property pledged, mortgaged, hypothecated or assigned by the person to the National Dairy Development Board, as security for the loan or advance; or

(ii) an Order transferring the management of the concerned Organisation to the National Dairy Development Board; or

(iii) an Order granting ad interim injunction, restraining the defaulter and persons claiming under him, from transferring or removing any machinery or plant or equipment from the premises of the borrower without the prior permission of the National Dairy Development Board, where such transfer or removal is reasonably apprehended.

(2) An application under sub-regulation (1) of this regulation shall, as far as may be, be made in Form given in the First Schedule hereto and state :-

(a) the nature and extent of the liability of the person (as the borrower or otherwise) to the National Dairy Development Board;

(b) the grounds on which the Application is made; and

(c) give such other particulars as circumstances of the case may require.

4. *Procedure to be followed on Application for certain reliefs:*

(1) Where an application has been made seeking one or more reliefs mentioned in sub-regulation (1) of regulation 3, the Court shall, along with issue of notice to the defaulter under regulation 5, -

(a) in the case of an Application seeking relief under clause (a) thereof, pass an interim Order, attaching the security furnished to the National Dairy Development Board, and so much of any other property of the defaulter as would, on being sold, realise an amount equivalent in value to the outstanding liability of the person to the Board, together with the costs of the proceedings,

(b) in the case of an Application seeking relief under clause (c) thereof, grant an ad interim injunction, restraining the defaulter from transferring or removing machinery or other equipment from the premises of the concerned Organisation, and

(c) in the case of an Application under clause (b) thereof, for the transfer of management of the Organisation-

(i) grant an ad interim injunction, restraining the defaulter from transferring or removing any machinery, plant or equipment from the premises of the Organisation, and

(ii) direct the defaulter to show cause, on a date to be specified in the notice, as to why the management of the Organisation should not be transferred to the National Dairy Development Board.

(2) The Court may grant any one or more reliefs sought to as the circumstances set out in the application may warrant.

(3) Before passing an Order under sub-regulation (1) of this regulation, the Court may, if it thinks fit, record the statement of the officer making the application on oath to prima facie satisfy himself about the genuineness of the claim.

(4) Every application made under sub regulation (1) shall, save as provided herein, be treated on par with an Application for execution of a valid decree of Court in favour of the National Dairy Development Board and against the defaulter, and the provisions of the Code shall *mutatis mutandis* apply.

5. Notice to show cause

The Court shall, at the time of passing an Order under sub-regulation (1) of regulation 4, issue to the defaulter and to any other person who may appear to have any interest in the security which is directed to attached or against whom any other relief is sought, a notice, accompanied by copies of the Order, the Application and the statement, if any, recorded by him, calling upon the person concerned to show cause, on a date specified in the notice, as to why an ad interim order of attachment should not be made absolute or the injunction or other relief granted confirmed, as the case may be.

6. Order of the Court and investigation of the claim :

(1) If no cause is shown on or before the date specified in the notice issued under regulation 4 or regulation 5, as the case may be, the court shall forthwith made the ad interim Order absolute and direct the sale of the attached property or transfer the management of the organization to the National Dairy Development Board, or confirm the injunction or other relief, as the case may be.

(2) If the matter is contested, then the court shall proceed to adjudge the claim of the National Dairy Development Board as provided in the Code as if it is a summary proceeding, and the provisions thereof shall, *mutatis mutandis*, apply in respect thereof.

7. Final Order

After making an enquiry as envisaged under sub-regulation (2) of regulation 6, the court may -

(a) confirm the order of attachment and direct the sale of the attached property,

(b) vary the Order of attachment, so as to release a portion of the property from attachment and direct the sale of the remainder of the attached property,

(c) release the property from attachment,

(d) confirm or dissolve the injunction, or

(f) Order the transfer of management of the concerned Organization to the National Dairy Development Board or reject the claim made in that behalf.

Provided that, the Court may while adjudging the matter under these regulations, be competent to pass such further Orders as it may deem fit, so as to protect the interests of the National Dairy Development Board, as also to apportion the costs of the proceedings in such manner as circumstances require;

Provided further that, unless the National Dairy Development Board intimates to the court that it will not appeal against an order passed by the Court, its claim to transfer the management of the concerned Organisation to the Board, such order shall not be given effect to, -

(i) before the expiry of the period within which appeal is to be preferred under regulation 9, and

(ii) if an appeal has been preferred, then until the appeal is disposed of, unless the Appellate court otherwise directs.

8. Execution

(1) An Order for the attachment or sale of property under these regulations shall be carried into effect, as far as practicable, in the manner provided in the Code for the attachment or sale of property in execution of a decree, as if the National Dairy Development Board were the decree holder.

(2) An Order under these regulations transferring the management of an Organisation to the National Dairy Development Board shall be carried into effect as far as practicable, in the manner provided in the Code for the execution of a decree for possession of or for the delivery of the property, as if the National Dairy Development Board were a decree-holder.

CHAPTER III

APPEAL

9. Appeal

(1) Any party aggrieved by an Order of the Court made under sub-regulation (1) of regulation 7 may, within thirty days from the date of the Order, Appeal to the High Court as far as may be in the Form given in the Second Schedule, and upon such Appeal, the High Court may, after giving the parties a reasonable opportunity to show cause, pass such orders as it thinks fit and proper.

(2) The provisions of the Code as to procedure relating to appeals against Orders shall, as far as may be, apply to Appeals under these Regulations.

CHAPTER IV

MISCELLANEOUS

10. No preference over other creditors

Where in respect of any defaulter who is a corporate body, proceedings for liquidation have commenced before an Application is made under sub-regulation (1) of regulation 7, nothing in these regulations shall be construed as giving to the National Dairy Development Board any preference over the other creditors of the defaulter which is not conferred by any other law for the time being in force.

11. Receiver.

For the avoidance of doubts, it is hereby declared that any Court competent to grant any relief under these regulations shall also have the power to appoint a receiver if circumstances so require, and to exercise all other powers incidental thereto.

First Schedule

FORM

Before the Court Of The District Judge at .....

BETWEEN

A. ---------- APPLICANT

AND

B. ---------- RESPONDENT

Application under Sec.30 and 31 of the National Dairy Development Board Act 1987, (37 of 1987) read with Regulation 3 of the National Dairy Development Board (Enforcement of Claims) Regulations, 2000.

DETAILS OF APPLICATION

* Delete whichever is not applicable.

1. Particulars of the Applicant :-

   (I) Name of the applicant :
   (ii) Address of Registered Office :
   (iii) Address for service of all notices :
   (iv) Name and designation of authorised Officer

2. Particulars of the Respondent :-

   (I) Name of the Respondent :
   (ii) Office address of the Respondent :
   (iii) Address for service of all notices :

3. Jurisdiction of the Court :

   The Applicant declares that the subject-matter of the recovery of debt due falls within the Jurisdiction of the District Court at.....

4. The facts of the case are given below :-
(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue, fact or otherwise)

5. Relief(s) sought :-

In view of the facts mentioned in para 4 above, The Applicant prays for the following relief(s) In pursuance of Section 30, Section 31 and Section 48 Of the National Dairy Development Board Act, 1987 Read with the National Dairy Development Board (Enforcement of Claims) Regulations, 2000.

[Explain the grounds of relief]

6. Interim order, if prayed for pending final decision on the Application, the Applicant seeks issue of the following Interim Order :-

[Give here the nature of the Interim Order prayed for with reasons].

7. Matter not pending with any other court, etc:-
The applicant further declares that the matter regarding which this Application has been made is not pending before any other Court of law or any other authority.

8. List of enclosures :-

VERIFICATION

I,...... .... being the Officer duly Authorised To represent the Statutory Body Viz., The National Dairy Development Board do hereby verify that the contents of Paras 1 to 8 are true to my personal knowledge and belief and that I have not suppressed any material facts.

Place :
Date : Signature

The Second Schedule

FORM

Before The High Court of Judicature at.....

Memorandum of Appeal under Regulation 9 of the National Dairy Development Board (Enforcement Of Claims Regulations) 2000 made under Sections 30, 31 and 48 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987)

Between

A---------- Appellant

AND

B----------Respondent

Details of Appeal :

1. Particulars of the Appellant :

   (I) Name of the Appellant.
   (ii) Address of registered office of the Appellant
   (iii) Address for service of all notices.

2. Particulars of the Respondent :

   (I) Name of the Respondent
   (ii) Office address of the Respondent
   (iii) Address for service of all notices.

3. Jurisdiction of the High Court :- The Appellant declares that the matters of the Appeal falls within the jurisdiction of the High Court.

4. Limitation :- The Appellant further declares that the Appeal is within the period specified in Regulation 9 of the National Dairy Development Board (Enforcement of Claims) Regulations, 2000

5. Facts of the case and the Orders passed by the Court and action taken thereon.

The facts of the case are given below :

(Give here a concise statement of facts and grounds of Appeal against the specific Order of the Court or action taken).

6. Relief(s) sought. ___ In view of the facts mentioned in Paragraph 5 above, the Appellant prays for the following relief(s) (Specify below the relief(s) sought explaining the grounds for relief(s) and the legal provisions (if any) relied upon).

7. Interim order, if prayed for :- Pending final decision on the Appeal the Appellant seeks issue of the following Interim Order.

(Give here the nature of the Interim Order prayed for with reasons).

8. Matter not pending with any other court etc. - The Appellant further declares that the matter regarding which this Appeal has been made is not pending before any other Court of law or any other Authority.

9 List of Enclosures :

Verification

I,..... (Name in full and block letters) being the ..... (Designation) of.....(Name of the Company) holding a valid power of attorney from ..... (Name of the Organisation or entity) do hereby verify that the contents of Paras 1 to 9 are true to my personal knowledge and belief and that I have as suppressed any material facts.

Signature of the Appellant

Place :
Date :

[Advt.-3/4/Exty/132/2k]
AMRITA, H. PATEL, Chairman

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 2000